सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

12/04/22 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। बहस सुनी गयी। निर्णय हेतु के लिये जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय सुना होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार R.A.S.

प्रकरण संख्या :–99/2020

वादीगण

1. उदाराम वल्द हरदाराम
2. मोतीराम वल्द हरदाराम
   कौम कलबी निवासी मघाणी मेगवालों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हरदाराम वल्द पदमाराम
2. नावीदेवी पत्नी हरदाराम
   कौम कलबी निवासी मघाणी मेगवालों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. लीलूदेवी पुत्री हरदाराम पत्नी रूपाराम कौम कलबी निवसी भावाणियों की ढाणी
4. गीतादेवी पुत्र हरदाराम पत्नी धनाराम कौम कलबी निवासी डेडावास जागीर
5. दोला वल्द पदमा
6. पुरखा वल्द पदमा कौम कलबी निवासी गाडरियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
7. पीरा वल्द मगा फौत के कायम मुकाम–
   7/1 हाजा वल्द पीरा कौम कलबी निवासी गाडरियों की ढाणी
8. नारणा वल्द मगा फौत के कायम मुकाम–
   8/1 गीगा वल्द नारणा
   8/2 दुर्गाराम वल्द नारणा
   8/3 अमियोंदेवी पत्नी नारणा कौम कलबी निवासी गाडरियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
9. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. गुड़ामालानी
10. तहसीलदार एवं उप पंजीयक गुड़ामालानी

दावा अन्तर्गत धारा 88,40,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 12/04/22

वादीगण ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र–पुत्री हैं। तथा प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी है।

वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र [illegible] के राजस्व ग्राम सोढों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 553/1 रकबा 23–08 बीघा, खसरा नम्बर 500/1 रकबा 6–00 बीघा, खसरा नम्बर 471 रकबा 44–00 बीघा, ग्राम गाड़रियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 149, 149/2 रकबा क्रमशः 62–11, 12–10 बीघा, खसरा नम्बर 149/1 रकबा 2–14 बीघा, ग्राम मघाणी मेगवालों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 326, 379, 388 रकबा क्रमशः 30–06, 21–04, 0–12 बीघा, ग्राम रतनपुरा के खेत खसरा नम्बर 50, 51/2 रकबा क्रमशः 0–02, 11–14 बीघा एवं ग्राम जसवंतनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

के खेत खसरा नम्बर 13/1 रकबा 11–00 बीघा की आई हुई है। उक्त विवादित आराजी का वक्त सेटलमेन्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष स्व0 मगा के नाम पर्चा लगान जारी होकर खातेदारी रेकर्ड संधारित हुआ। उनके देहान्त के वाद उनके पुत्र पदमा को प्राप्त हुई। पदगा का देहान्त होने के वाद पदमा के पुत्रान हरदाराम दौलाराम पुरखाराम को प्राप्त हुई। वादीगण हरदाराम के जायन्ता पुत्र होने से उक्त वादग्रस्त अराजी में वादीगण के जन्म से ही हक निहित हो चुके हैं। वादीगण प्रत्येक का उक्त आराजी में 1/27–1/27 हिस्सा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण का खाते में नाम दर्ज नही होने के कारण वादी हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहते है। उक्त वादग्रस्त खेतो में वादीगण अपने हिस्सानुसार कब्जे काश्त में है फिर भी प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण को काश्त करते समय रोकटोक करता है, तथा वादीगण के हिस्से की भूमि को बेचान कर वादीगण को बेदखल करने पर आमदा है, जिससे वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि की हिस्सेदारी घोषित करवाने हेतु वादपत्र पेश किया गया।

वादपत्र दिनांक 13.08.2019 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए तथा वादीगण के वाद पत्र का इकवाली जबाव पेश कर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने की सहमति दी। वादीगण की मौखिक साक्ष्य में वादीगण संख्या 1 व 2 स्वयं को न्यायालय में उपस्थित कर बयान कलमबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त आराजी की वर्तमान जमाबन्दी नकलें एवं पैतृक होने सम्बन्धित नामान्तरकण की नकलें प्रदशित करबाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो वादीगण की बहिनें व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रियां है, ने न्यायालय के समक्ष 100/–100/– रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर अपने हिस्से की भूमि वादीगण के पक्ष में खातेदारी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में लिखित सहमति दी गई।

हमने वादीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। चूंकि उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सम्पति में प्रथम श्रेणी के वारिसान को अपने हिस्से की भूमि की घोषणा करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित अधिनिर्णयों में यही मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक दिनांक 08.01.2007 द्वारा यह निर्देशित किया गया है "कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, गुढ़ामालानी

अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनो को जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनो ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल मे ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ साथ पुत्र/पुत्री सहकृषक होते है चाहे राजस्व रेकर्ड में इसका अंकन नही भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री दोनो अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है। यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के सम्बन्ध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नही हो तो ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोतों का विभाजन कराया जा सकता है।" चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के वाद पत्र का इकबाली जबाव पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को खातेदार घोषित करने का लिखित कथन किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र रतनपुरा के राजस्व ग्राम सोढों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 552/1 रकबा 22–08 बीघा, खसरा नम्बर 500/1 रकबा 6–00 बीघा, खसरा नम्बर 471 रकबा 44–00 बीघा, ग्राम गाड़रियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 149, 149/2 रकबा क्रमशः 62–11, 12–10 बीघा, खसरा नम्बर 149/1 रकबा 2–14 बीघा, ग्राम मघाणी मेगवालों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 326, 379, 388 रकबा क्रमशः 30–06, 21–04, 0–12 बीघा, ग्राम रतनपुरा के खेत खसरा नम्बर 50, 51/2 रकबा क्रमशः 0–02, 11–14 बीघा एवं ग्राम जसवंतनगर के खेत खसरा नम्बर 13/1 रकबा 11–00 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर राजस्व रेकर्ड में सुधार की पृविष्टि की जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक...[illegible]... खुले न्यायालय मजमेआम सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर, (S.D.O.) गुड़ामालानी